राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन/फेक्स : 02992–252377 ई–मेल : pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
10.12.2018

विधानसभा चुनाव–2018

मतगणना आज, तैयारियां पूर्ण
कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध

जैसलमेर, 10 दिसम्बर। जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को की जायेगी। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय एसबीके महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। जिसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। परिणाम के पश्चात कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर–132 एवं विधानसभा क्षेत्र पोकरण –133 के लिए 7 दिसम्बर को सम्पन्न मतदान के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर के 358 मतदान केन्द्रों के वोटों की गणना के लिए 12 टेबले लगाई गई है एवं 30 राउण्ड में मतगणना होगी। इसी प्रकार पोकरण विधानसभा क्षेत्र के 258 मतदान केन्द्रों के वोटों की गणना के लिये 12 टेबले लगायी गयी है एवं 22 राउण्ड में मतगणना होगी। मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे प्रारम्भ हो जाएगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये है। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जायेगी एवं तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना होगी।

बिना पास प्रवेश नहीं

मतगणना स्थल में बिना पास किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिये मतगणना के अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर व पोकरण के द्वारा जारी वैद्य पास के जरिये ही काउटिंग एजेण्ट, प्रत्याशी के अभिकर्ता को प्रवेश दिया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल पर किसी भी कर्मचारी – अधिकारी के साथ ही मतगणना से जुड़े व्यक्तियों को प्रवेश पास के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। उन्होंने बताया कि नियुक्त अधिकारियों व कार्मिकों के साथ ही अभ्यर्थियों व उनके गणक अभिकर्ताओं को प्रवेश पास संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएगे।

मोबाईल वर्जित

मतगणना स्थल एस.बी.के.राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होने वाली मतगणना के समय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति , चुनाव एजेन्ट ,अभ्यर्थियों के साथ ही मतगणना कार्य के लिये नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी भी अपने साथ मोबाईल फोन नहीं रख सकेगें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने एक आदेश के जरिए मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिये अधिग्रहित किये गये निर्धारित परिधि में पैरामिल्ट्री फोर्स द्वारा प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाएगी तथा किसी भी व्यक्ति को मोबाईल फोन अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इन निर्देशों की अवहेलना करता हुआ कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके उपकरण को भी जब्त कर दिया जाएगा।

मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने एक आदेश जारी कर विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर व पोकरण के लिये 11 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गये है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयुक्त नगरपरिषद पवन कुमार को एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर का प्रथम द्वार पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, इनके मोबाईल नम्बर 9468874034 है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ सुश्री सुमन सोनल को राजकीय महाविद्यालय के द्वितीय द्वार पर मजिस्ट्रेट लगाया है इनके मोबाईल नम्बर 9871203563 है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रामेश्वरलाल मीणा को महाविद्यालय के मुख्य द्वार नवीन परिसर ,मतगणना स्थल के लिये ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है इनके मोबाईल नम्बर 9414280766 है। आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वे उन्हें आवंटित क्षेत्र में मतगणना दिवस को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए समस्त निरोधात्मक कदम उठाए जाने सुनिश्चित करेगें।

–––000––

<u>विधानसभा चुनाव 2018</u>

विजय जुलूसों पर रहेगा प्रतिबंध, व्यवस्था में सहयोग की अपील

जैसलमेर, 10 दिसम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 के मतदान की मंगलवार प्रातः मतगणना की जायेगी। मतगणना के पश्चात विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने सभी प्रत्याशियों तथा उनके कार्यकर्ताओं से कानून एवं शान्ति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार प्रातः आयोजित बैठक में जिला कलक्टर कसेरा ने मतगणना व्यवस्थाओं तथा परिणाम के पश्चात कानून व्यवस्था के लिए किए गए बंदोबस्तों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीशचन्द्र शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा, रिटर्निंग अधिकारी विकास राजपुरोहित, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रूपाराम मेघवाल, सांगसिंह भाटी, महंत प्रतापपुरी, वीरसिंह तथा प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ता तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थें।

इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी कसेरा ने जिले में शान्तिपूर्ण मतदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया तथा जिले में सर्वाधिक मतदान के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति जागरूकता के लिए चले अभियान तथा सभी के सक्रिय सहयोग से मतदान के प्रतिशत में बढोतरी संभव हो सकी। उन्होंने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव का पिछला इतिहास शान्तिपूर्ण रहा है तथा इसे आगे भी कायम रखना है। उन्होंने बताया कि मतगणना के पश्चात परिणाम के बाद कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाएं रखने में राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी सक्रिय भूमिका निभायें तथा अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से शान्ति बनाएं रखने की अपील करें।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र शर्मा ने मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा ने मतगणना प्रक्रिया की बारिकीयों से अवगत कराया।

विजयी जुलूस प्रतिबंधित

मतगणना के पश्चात विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने यह प्रतिबंध धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है जो तत्काल लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला कलक्टर ने रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर व पोकरण को निर्देशित किया कि वे मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दें। इसके साथ ही इस प्रतिबंध के तहत मतगणना कक्ष के अंदर कार्यरत सभी अधिकारियों व कार्मिकों एवं प्रवेश करने वाले अभिकर्ता तथा अन्य के लिये मोबाईल फोन के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर के 200 मीटर की परिधी के अंदर किसी तरह के मोबाईल फोन ,सैल फोन ,वॉयरलैस का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों ,कार्मिकों तथा पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

मंगलवार को सूखा दिवस

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतगणना दिवस मंगलवार ,11 दिसम्बर को संपूर्ण जिले में सूखा दिवस प्रभावशील रहेगा। इस दिवस को मदिरा विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

——000——

पोकरण उपखण्ड क्षेत्र में 11 दिसम्बर रात्रि 12 बजे से इन्टरनेट सेवा बंद

जैसलमेर, 10 दिसम्बर। संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता ने एक आदेश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर के निवेदन एवं पुलिस थाना लाठी क्षेत्र के लाठी गांव में 7 दिसम्बर को घटित उपद्रव को ध्यान में रखते हुए 11 दिसम्बर मतगणना के दिवस कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के पोकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में 2 जी, 3 जी, 4 जी डाटा इन्टरनेट सेवा, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हा्टस एप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशियल मीडिया जो इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स है कि सेवाओं को 11 दिसम्बर रात्रि 12 बजे से 12 दिसम्बर को रात्रि 12 बजे तक के लिए अस्थाई रूप से निलम्बन करने का आदेश किया है।

——000——